



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated To Truth in Public Interest

कार्यालय

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
उत्तराखण्ड, देहरादून

उत्तराखण्ड राज्य के वन/जलागम प्रभागों की
कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
वर्ष 2020–21

विषय-सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	2
2.	महत्वपूर्ण बिन्दु	3
3.	संस्तुतियां	4-5
4.	परिचयात्मक	6
5.	संरचना	7
6.	भाग-प्रथम (लेखा)	8-18
7.	भाग-द्वितीय (लेखा परीक्षा)	19
8.	परिशिष्ट-1 से 19	20-51

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेशों की पुस्तिका (लेखा एवं हकदारी) खण्ड-I के प्रस्तर 9.10 के प्रावधान के अनुसार इस कार्यालय द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए वन विभाग एवं जलागम परियोजना के प्रभागों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक समीक्षा तैयार की जाती है एवं अनुवर्ती वित्त वर्ष के 31 दिसम्बर तक राज्य सरकार को भेज दी जाती है। इस समीक्षा का उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य के वन विभाग एवं जलागम परियोजना के प्रभागों के लेखों के रख-रखाव एवं लेखांकन में परिलक्षित अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं सामान्य प्रकृति की त्रुटियों को इंगित करके उनमें आवश्यक सुधार करना है। इसके अतिरिक्त इसमें लेखा परीक्षा कार्यालय द्वारा लेखा परीक्षा में यदि महत्वपूर्ण अनियमितताएं पायी जाती हैं तो उनको भी सम्मिलित किया जाता है। वन विभाग के लेखा कर्मचारियों द्वारा मासिक लेखे तैयार करने में आवश्यक लेखा नियमों, प्रणालियों की पर्याप्त जानकारी के अभाव में लेखा या तो पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये जाते हैं या तैयार भी किये जाते हैं तो उनकी गुणवत्ता उच्च स्तरीय नहीं होती है, इसलिए वन विभाग एवं जलागम परियोजना के प्रभागों द्वारा लेखा संधारण में अभी भी सुधार की सम्भावनायें हैं।

मैं आशा करता हूँ कि यह प्रतिवेदन उत्तराखण्ड राज्य के वन विभाग एवं जलागम परियोजना के लेखा कर्मचारियों/अधिकारियों को लेखांकन की त्रुटियों को सुधारने तथा भविष्य में नियमानुसार कार्य सम्पादित करने की दृष्टि से मार्गदर्शन करने में उपयोगी सिद्ध होगा।

दिनांक:

स्थान: देहरादून

प्रवीन्द्र यादव

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

उत्तराखण्ड

महत्वपूर्ण बिन्दु

प्रथम भाग लेखा

1. उत्तराखण्ड राज्य में IFMS प्रणाली लागू किया जाना (प्रस्तर-1)।
2. कुछ प्रभागों द्वारा संपूर्ण मासिक लेखे (भैतिक प्रति के रूप में) प्रेषित ही न किया जाना एवं प्रभागों द्वारा मासिक लेखे विलम्ब से कार्यालय महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना (प्रस्तर-2)।
3. प्रभागों द्वारा प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों का त्रैमासिक मिलान नहीं कराया जाना (प्रस्तर-3)।
4. मासिक लेखों के साथ वर्गीकृत सार की मूल प्रति न भेजा जाना तथा सार के अन्त में निर्धारित प्रमाण-पत्र अंकित नहीं कराया जाना (प्रस्तर-4)।
5. माह के दौरान निर्गत E-payment के सापेक्ष भुगतान के पश्चात् अवशेष E-payment का विवरण उपलब्ध नहीं कराया जाना (प्रस्तर-5)।
6. विभिन्न प्रभागों द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में वन अग्रिम की वसूली/समायोजन न किया जाना(प्रस्तर-6)।
7. मासिक लेखे के साथ प्रेषित आय तथा व्यय के विभिन्न प्रपत्रों/प्रमाणकों तथा अनुसूचियों में अपूर्ण लेखा वर्गीकरण का अंकन (प्रस्तर-7)।
8. संकलित मासिक लेखे में आयकर, स्टाम्प ड्यूटी तथा बिक्री कर को अनावश्यक दर्शाया जाना(प्रस्तर-8)।
9. मासिक लेखे के साथ CCL/DCL Passbook संलग्न न किया जाना (प्रस्तर-09)।
10. मासिक लेखों के साथ वन जमा के आय/व्यय प्रपत्र (ई-23) संलग्न न किया जाना (प्रस्तर-10)।
11. लेखों से सम्बन्धित अन्य त्रुटियां (प्रस्तर-11)।
12. वर्ष 2020-21 में वन विभाग के सामान्य भविष्य निधि के ऋणात्मक प्रकरण/अंतिम भुगतान/नवीन आवंटन प्रकरणों के सम्बन्ध में (प्रस्तर-12)।

द्वितीय भाग लेखापरीक्षा

- 1, लेखापरीक्षा के दौरान पायी गयी अनियमितताएं।

संस्तुतियाँ

महालेखाकार (लेखा० एवं हक०) कार्यालय द्वारा तैयार किये जाने वाले राज्य के वित्त एवं विनियोजन लेखों में वन विभाग एवं जलागम परियोजना के व्यय एवं प्राप्ति के यथार्थ एवं सही आंकड़े सम्मिलित होने चाहिए। इस दृष्टि से प्रभागों द्वारा प्रेषित किये जाने वाले संकलित /कोषागार द्वारा प्रेषित मासिक लेखों की समीक्षा की जाती है और प्रकाश में आये परिणामों से सम्बन्धित प्रभागों को समय-समय पर अवगत कराया जाता है। इसी क्रम में खण्डों के लेखों में सुधार एवं गुणवत्ता में वृद्धि की दृष्टि से राज्य शासन/विभागाध्यक्ष द्वारा वन विभाग एवं जलागम परियोजना के अधिकारियों को राज्य में IFMS प्रणाली लागू होने के बाद मासिक लेखों को अग्रिम आदेश तक भौतिक रूप से इस कार्यालय को प्रेषित करने हेतु निम्नलिखित अनुदेश जारी किया जाना प्रस्तावित है:-

1. कार्यालय महालेखाकार को मासिक लेखे अनिवार्य रूप से निर्धारित समयावधि तक भेजना सुनिश्चित करें।
2. इस कार्यालय द्वारा प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों के मिलान हेतु निर्धारित तिथि तक आंकड़ों का मिलान करना सुनिश्चित करें।
3. वर्गीकृत सार में निर्धारित प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें।
4. वन/जलागम प्रभागों के माह के दौरान अनाहरित अवशेष चेकों की सूची मासिक लेखे के साथ भेजना सुनिश्चित करें।
5. संकलित मासिक लेखों में स्टाम्प ड्यूटी, आयकर तथा बिक्री कर की राशि को सम्मिलित न किया जाना सुनिश्चित करें।
6. वन प्रेषण के अन्तर्गत कोषागार में जमा धनराशि के चालानों की प्रति एवं विवरण सूची अनिवार्य रूप से मासिक लेखे के साथ भेजना सुनिश्चित करें।

7. मासिक लेखे के साथ संलग्न सम्बन्धित प्रपत्रों/प्रमाणकों/अनुसूचियों में पूर्ण लेखा वर्गीकरण (15 अंकीय) अंकित करना सुनिश्चित करें।
8. विभाग द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्य निष्पादन हेतु दी जाने वाली वन अग्रिम राशि का समायोजन/वसूली वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
9. विभाग एवं प्रभागों से सेवानिवृत होने वाले व सेवानिवृत हुये अधिकारियों/कर्मचारियों के सा.भ.नि. के ऋणात्मक प्रकरणों की वसूली कराना सुनिश्चित करें।
10. चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में प्रोन्नत कर्मचारियों की चतुर्थ श्रेणी सा0भ0नि0 खाते में जमा धनराशि अघतन ब्याज सहित चालान के माध्यम से उनके तृतीय श्रेणी सा0भ0नि0 खाते में स्थानान्तरण कराना सुनिश्चित करें।
11. संकलित मासिक लेखों के साथ वन जमा के आय-व्यय प्रपत्र (ई-23) की सत्यापित प्रति संलग्न कर प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।
12. संकलित मासिक लेखों के साथ सी.सी.एल./डी.सी.एल. पासबुक एवं कोषागार मिलान की सत्यापित प्रति प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

वन विभाग एवं जलागम परियोजना के प्रभागों की कार्य प्रणाली पर वर्ष

2020-21 की वार्षिक समीक्षा आख्या

परिचयात्मक

यह समीक्षा उत्तराखण्ड राज्य के वन विभाग एवं जलागम परियोजना के प्रभागों की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन है। विभिन्न प्रभागों के मासिक लेखों में हो रही निरन्तर व सामान्य प्रकृति की अनियमितताओं को इस समीक्षा आख्या में सम्मिलित किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेख किया जाता है कि इस समीक्षा आख्या में जो भी अनियमितताएं, कमियाँ एवं त्रुटियाँ शामिल की गयी हैं वे विस्तृत नहीं बल्कि उदाहरण के रूप में हैं।

दिनांक 31.03.2021 को वन विभाग (परिशिष्ट-1) एवं जलागम (परिशिष्ट -2) परियोजना के प्रभागों की कुल संख्या 57 थी। विभाग वार प्रभागों की संख्या निम्न है:

क्रम संख्या	विभाग	प्रभागों की संख्या
1.	वन विभाग के वृत्त/प्रभाग	46
2.	जलागम परियोजना के वृत्त/प्रभाग	11
	योग	57

संरचना

समीक्षा आख्या दो भागों में निम्नवत् तैयार की गयी है:-

प्रथम—भाग: इस भाग में प्रभागों से प्राप्त हुये मासिक लेखों की प्रारम्भिक जाँच एवं लेखों के संकलन के दौरान पायी गयी कमियों/अनियमितताओं को शामिल किया गया है।

द्वितीय—भाग: इस भाग में लेखा परीक्षा कार्यालय के केन्द्रीय लेखा परीक्षा के दौरान वन प्रभागों में पायी गयी वित्तीय अनियमितताओं एवं त्रुटियों को शामिल किया गया है।

भाग—प्रथम

(लेखा)

प्रस्तर 1: राज्य में वन एवं जलागम प्रभागों में **IFMS** प्रणाली का लागू किया जाना:—

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 129/**XXVII** (6)/एक/2008/2019 दिनांक 29/03/2019 एवं पत्रांक 306/**XXVII**(6)/430/एक/2018/2019 दिनांक 05/09/2019 के द्वारा वन लेखों के संबंध में IFMS प्रणाली राज्य में अप्रैल 2019 से लागू की गयी है। इस प्रणाली के अंतर्गत वन एवं जलागम प्रभागों के मासिक लेखे कोषागार के माध्यम से IFMS Generated प्रेषित किये जाते हैं। उक्त शासन आदेश दिनांक 05.09.2019 के अनुसार वन लेखों से सम्बन्धित वन प्रेषण (8782-00-103) को दिनांक 01.09.2019 से समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार सम्बन्धित लेखा संहिता वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग VII में भी संशोधन अपेक्षित है।

लेखाशीर्ष 8782-00-103 के समाप्त होने के उपरान्त भी कुछ प्रभागों द्वारा लेखाशीर्ष 8782-00-103 के अंतर्गत चालान के द्वारा राशियों को जमा किया जा रहा है जबकि 8782 से सम्बन्धित ऑकड़ों को सीधे 8443-00-109 में जमा करना तर्कसंगत है।

प्रस्तर 2 (अ) कुछ प्रभागों द्वारा संपूर्ण मासिक लेखों को प्रेषित ही न किया जाना:—

अप्रैल 2019 से राज्य में IFMS प्रणाली लागू की गयी। इस प्रणाली के अंतर्गत यह व्यवस्था की गयी कि प्रत्येक वन एवं जलागम प्रभाग मासिक लेखों को सम्बन्धित कोषागार को प्रेषित करेंगे। सम्बन्धित कोषागार इन लेखाओं को संकलित कर कार्या० प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०) उत्तराखण्ड को प्रेषित करेंगे। सभी कोषागार नियमित रूप से मासिक लेखों को संकलित कर INTERFACE/ IFMS Generated लेखे प्रेषित कर रहे हैं, साथ ही इन मासिक लेखों की मूल प्रति भैतिक रूप में भी इस कार्यालय को प्राप्त करानी अनिवार्य है। परन्तु कुछ प्रभागों द्वारा वित्तीय वर्ष

2020-21 में सम्पूर्ण मासिक लेखे इस कार्यालय में प्रेषित नहीं किये गये। ऐसे प्रभागों की सूची परिशिष्ट-3 में अंकित है।

प्रस्तर 2 (ब) मासिक लेखों का विलम्ब से भेजा जाना:-

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-7 के प्रस्तर 201 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रभागों के संकलित मासिक लेखे सभी प्रपत्रों सहित (केवल माह मार्च के लेखे को छोड़कर) अगले माह की 10 तारीख तक एवं मार्च माह के मासिक लेखे 20 अप्रैल तक प्रधान महालेखाकार कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिए। परन्तु पाया गया कि अधिकतर वन प्रभागों के अधिकारियों द्वारा संकलित मासिक लेखे प्रधान महालेखाकार कार्यालय में प्राप्त कराये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और ना ही विलम्ब के कारणों का उल्लेख किया गया। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा संबंधित प्रभागीय अधिकारी एवं शासन को स्थिति से अवगत कराने के पश्चात् भी मासिक लेखे विलम्ब से प्रेषित किये गये और विलम्ब होने के कारण भी सूचित नहीं किये गये।

यहाँ यह सूचित करना भी आवश्यक है कि IFMS प्रणाली लागू होने/कोषागारों द्वारा IFMS के माध्यम से मासिक लेखे प्रेषित करने के साथ-साथ वन एवं जलागम प्रभागों द्वारा पूर्व की भाँति (अगले आदेश तक) इस कार्यालय को मासिक लेखे समयानुसार प्रेषित किया जाना अनिवार्य है।

नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले लेखों की माहवार स्थिति निम्न तालिका-1 में अंकित है तथा विलम्ब से प्राप्त हुये मासिक लेखों की प्रभागवार एवं माहवार स्थिति परिशिष्ट '4' एवं '5' में दी गई है।

नोट- कोषागार द्वारा संकलित मासिक लेखे **Interface** के द्वारा इस कार्यालय को ससमयप्राप्त हो रहा है।

तालिका-1

माह	माह में कुल लेखों की संख्या		नियत तिथि के बाद प्राप्त होने वाले लेखों की संख्या		विलम्ब से प्राप्त लेखों का प्रतिशत	
	वन	जलागम	वन	जलागम	वन	जलागम
04 / 2020	46	11	39	09	85	82
05 / 2020	46	11	39	05	85	45
06 / 2020	46	11	42	07	91	64
07 / 2020	46	11	40	03	87	27
08 / 2020	46	11	33	08	72	73
09 / 2020	46	11	32	05	70	45
10 / 2020	46	11	38	06	83	55
11 / 2020	46	11	36	03	78	27
12 / 2020	46	11	34	03	74	27
01 / 2021	46	11	43	10	93	91
02 / 2021	46	11	33	08	72	73
03 / 2021	46	11	36	03	78	27
कुल	552	132	445	70		
वार्षिक औसत प्रतिशत					81	53

शासन द्वारा ऐसे प्रभागों को कड़े निर्देश जारी करने की आवश्यकता है जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्धारित तिथि तक इस कार्यालय में मासिक लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए शासन स्तर पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है एवं कृत कार्यवाही से कार्यालय महालेखाकार को भी अवगत कराना अपेक्षित रहेगा।

प्रस्तर-3: वन प्रभागों द्वारा त्रैमासिक लेखा मिलान पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिये प्रभागीय अधिकारियों द्वारा वास्तविक व्यय पर सतत दृष्टि का अभाव:-

प्राप्ति एवं व्यय के सही तथा वास्तविक आंकड़ों को प्राप्त करने हेतु वन प्रभागों के लेखे में दर्शाये गये प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों का प्रधान महालेखाकार कार्यालय के अभिलेखों में दर्शाये गये आंकड़ों से मिलान किया जाना अति आवश्यक है, जिससे राज्य सरकार के लेखों में लेखाशीर्षों के

अन्तर्गत वास्तविक आंकड़े प्रदर्शित हो सके। अतः प्रभागीय अधिकारियों को अपने प्रभागों के लेखे में दर्शाये गये आंकड़ों का इस कार्यालय के अभिलेखों में दर्शाये गये आंकड़ों से मिलान निम्न निर्धारित दिनांक तक कराना आवश्यक / वांछित था:—

क्रम सं०	त्रैमास	लेखे की अवधि	मिलान की निर्धारित तिथि
1.	प्रथम	अप्रैल से जून तक	07.09.2020 से 25.09.2020
2.	द्वितीय	जुलाई से सितम्बर तक	19.02.2021 से 26.02.2021
3.	तृतीय	अक्टूबर से दिसम्बर तक	
4.	चतुर्थ	जनवरी से मार्च तक (पूर्व में मिलान नहीं कराये गये प्रभागों द्वारा प्रथम से चतुर्थ त्रैमास तक)	10.06.2021 से 18.06.2021

प्रथम से चतुर्थ त्रैमास तक निर्धारित अवधि के अन्तर्गतविभागीय आँकड़ों का मिलान न कराने वाले प्रभागों का विवरणपरिशिष्ट '6' में दर्शाया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 के अंतर्गत आय व्यय के आँकड़ों के मिलान हेतु विभागीय आँकड़ेप्रेषित नहीं करने वाले प्रभागों की सूची परिशिष्ट '7' में दर्शाया गई है।

कोषागार से प्राप्त वन विभाग के लेखों के सम्बन्ध में यह भी पाया गया कि प्राप्ति शीर्ष '0406'में आंकड़ों का मिलान वित्तीय वर्ष 2020–21 में किसी भी वन प्रभाग द्वारा नहींकराया गया जबकि प्राप्ति शीर्ष से सम्बन्धित लेखा का मिलान कार्य कराया जाना भी अत्यन्त आवश्यक था।वर्ष 2020–21 में लेखाशीर्ष 0406 के अन्तर्गत मिलान योग्य धनराशि रु 5122661419/- थी।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि मिलान प्रक्रिया का उद्देश्य लेखाओं में पायी गयी किसी भी कमी/त्रुटि को सुधारना है जिससे कि राज्य के मासिक लेखों में आय एवं व्यय कीधनराशि

आवंटितबजट के सापेक्ष सही परिलक्षित हो। मिलान न कराने एवं विलम्ब से मिलान कराने से मासिक लेखों में राज्य की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं हो पाती है।

अतः शासन से अनुरोध है कि सम्बन्धित विभागों को निर्धारित तिथि तक प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ त्रैमास के आंकड़ों का प्रधान महालेखाकार कार्यालय के आंकड़ों से मिलान कराने हेतु आवश्यक निर्देश दें।

विभागों में समय पर मिलान सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन की प्रणाली विकसित करें एवं उसका सतत पर्यवेक्षण भी सुनिश्चित करायें।

प्रस्तर-4: मासिक लेखों के साथ वर्गीकृत सार की मूल प्रति न भेजा जाना तथा सार के अन्त में निर्धारित प्रमाण-पत्र अंकित न किया जाना:-

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-7 के प्रस्तर 200 के अनुसार प्रति माह भेजे जाने वाले मासिक लेखों के साथ वर्गीकृत सार की मूल प्रति निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को भेजा जाना चाहिए। परन्तु वर्ष 2020-21 मे पाया गया कि कतिपय प्रभागों द्वारा मासिक लेखे के साथ वर्गीकृत सार की मूल प्रति प्रेषित नहीं की गयी है। ऐसे प्रभागों की सूची परिशिष्ट: 8 पर अंकित है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-7 के प्रस्तर 188 के अनुसार व्यय के वर्गीकृत व्यय सार के अन्त में निर्धारित प्रमाण-पत्र अंकित किया जाना चाहिए, ताकि लेखों में दर्ज आंकड़ों की सत्यता सिद्ध हो सके, परन्तु पाया गया है कि उक्त नियम का पालन प्रभागों द्वारा नहीं किया गया। प्रकरण को उच्चाधिकारियों/शासन के संज्ञान में इस आशय से लाया जाता है कि प्रति माह भेजे जाने वाले मासिक लेखे के साथ वर्गीकृत सार की मूल प्रति निर्धारित प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट: 9) के अनुसार भेजना सुनिश्चित किया जाये।

प्रस्तर-5: माह के दौरान निर्गत **E-payment** के सापेक्ष भुगतान के पश्चात् अवशेष **E-payment** का विवरण उपलब्ध न कराया जाना:-

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेशों की पुस्तिका (लेखा एवं हकदारी) खण्ड 1 के प्रस्तर 9.3 के अनुसार प्रभागों द्वारा प्रतिमाह प्रपत्र ई-6 में निर्गत E-payment में से कोषागार द्वारा भुगतान के पश्चात् अवशेष E-payment को कोषागार से मिलान करने के उपरान्त उनकी विवरण सूची मासिक संकलित लेखे के साथ इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना प्रावधानित है, परन्तु पाया गया है कि वन प्रभागों द्वारा उक्त नियम का पालन नहीं किया गया, जिस कारण अवशेष भुगतान की वास्तविक स्थिति ज्ञात नहीं हो पाई है। उच्चाधिकारियों/शासन से अपेक्षा की जाती है कि प्रभागीय अधिकारियों को उक्त प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाये।

प्रस्तर-6: वन प्रभागों के संवितरकों (अधिकारी/अधीनस्थ कर्मचारी) को दिये गये वन अग्रिम धनराशि का समायोजन/वसूली न किया जाना:-

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-7 के प्रस्तर-154 के अन्तर्गत वन विभाग के प्रखण्डों के संवितरक अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में भुगतान हेतु वन अग्रिम दिये जाने का प्रावधान है। नियमानुसार इन अग्रिमों का समायोजन सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही किया जाना अपेक्षित है। यदि अग्रिमों का समायोजन न हो पाये तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा असमायोजित धनराशि को शासकीय लेखे में वापस जमा किया जाना चाहिए। विशेष अपरिहार्य परिस्थिति में यदि असमायोजित अवशेष राशि की वसूली सम्बन्धित संवितरक अधिकारी/कर्मचारी से किया जाना सम्भव न हो तो इस धनराशि को वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-7 के प्रस्तर-166 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अधीन लेखाशीर्षक “प्रकीर्ण” के अधीन बट्टे खाते में डाला जा सकता है।

समीक्षा में पाया गया है कि 19 प्रखण्डों द्वारा वर्ष 2020-21 में दिये गये वन अग्रिम रु 99609.81/- का समायोजन/वसूली अद्यतन लम्बित है, जिसका विवरण परिशिष्ट-10 में दिया गया है। प्रकरण आवश्यक समायोजन/वसूली हेतु उच्चाधिकारियों/शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-7: मासिक लेखे के साथ प्रेषित आय तथा व्यय के वर्गीकृतसार (ई-11), प्रगामी आय/व्यय पत्रक (ई-7) एवं अनुसूचियों/प्रमाणकों पर लेन-देनों से सम्बन्धित लेखाशीर्षों का पूर्ण विवरण न अंकित किया जाना।

नियमानुसार राजस्व एवं व्यय से सम्बन्धित विभिन्न लेन-देनों का लेखा वर्गीकरण 15 अंकीय संहिता में प्रत्येक अभिलेख पर निम्न क्रम में अंकित किये जाने चाहिए:-

1. राजस्व (प्राप्ति):

मुख्य शीर्ष → उप मुख्य शीर्ष → लघु शीर्ष → उप शीर्ष → विस्तृत शीर्ष।

2. व्यय (भुगतान):

अनुदान संख्या → → मुख्य शीर्ष → उप मुख्य शीर्ष → लघु शीर्ष → उप शीर्ष → विस्तृत शीर्ष।

विभिन्न वन प्रभागों/जलागम प्रभागों से प्राप्त मासिक लेखा के साथ संलग्न उक्त अभिलेखों की जाँच करने पर यह पाया गया कि कुछ प्रभागों द्वारा उपरोक्तानुसार राजस्व/व्यय के लेखाशीर्ष अंकित नहीं किये गये परिणामतः महालेखाकार कार्यालय में तैयार मासिक एवं वार्षिक लेखों में भी उक्त कारण से त्रुटि परिलक्षित होने की सम्भावना रहती है।

अतः प्रभागों द्वारा प्रेषित मासिक लेखों के अभिलेखों में पूर्ण लेखा वर्गीकरण का अंकन सुनिश्चित किए जाने की नितान्त आवश्यकता है।

प्रस्तर-8: संकलित मासिक लेखे में अनावश्यक रूप से आयकर, स्टाम्प ड्यूटी, बिक्री कर तथा जी0एस0टी0 को दिखाया जाना:-

कुछ प्रभागों द्वारा संकलित मासिक लेखे में मुख्य लेखाशीर्ष –0021, 0030 तथा 0040 की राशियों को आय और व्यय पक्ष में दर्शाया जा रहा है जबकि इन राशियों को उक्त मुख्य लेखाशीर्ष में कोषागार में चालान के द्वारा जमा किया जाना चाहिए। कोषागार अपने मासिक लेखे के साथ उक्त मुख्य लेखाशीर्षों की जमा राशियों का विवरण प्रधान महालेखाकार को प्रस्तुत करते हैं, तदनुसार इसका लेखांकन इस कार्यालय के वी0एल0सी0 अनुभाग द्वारा किया जाता है। अतः वन प्रभागों द्वारा संकलित लेखे में उक्त शीर्षों में चालान द्वारा जमा राशियों को नहीं दर्शाया जाना चाहिये, क्योंकि इससे लेखांकन में असुविधा होती है तथा धनराशि के दोहरे (Double) लेखांकन की सम्भावना रहती है, ऐसे प्रभागों का विवरण परिशिष्ट-11 पर अंकित है।

प्रस्तर-9: मासिक लेखों के साथ सी0सी0एल0 / डी0सी0एल0 पासबुक संलग्न न किया जाना:-

वन/जलागम प्रभागों द्वारा माह के दौरान सिविल/जमा कार्यों में व्यय की गयी धनराशि का मासिक लेखे से मिलान हेतु डी0सी0एल0 पासबुक के प्रपत्र का मासिक लेखों के साथ प्रेषित करना आवश्यक होता है। परन्तु कुछ वन/जलागम प्रभागों द्वारा उक्त प्रपत्र मासिक लेखों के साथ संलग्न न किये जाने से व्यय के मिलान का कार्य बाधित होता है। उक्त प्रपत्र संलग्न न करने वाले प्रभागों की सूची परिशिष्ट-12 में अंकित है।

प्रस्तर-10: मासिक लेखों के साथ वन जमा के आय/व्यय प्रपत्र (ई-23) संलग्न न किया जाना:-

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-7 के प्रस्तर 198 के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा प्रति माह वन निक्षेपों के अन्तर्गत प्राप्तियों और समायोजनों के ब्यौरे और निक्षेप की प्रत्येक मद का अन्तिम शेष पृथक-पृथक

प्रपत्र संख्या 23 में दर्शाया जाना चाहिए। जिससे प्रभागवार माह के दौरान प्राप्ति एवं व्यय और अन्तिम शेषों का मिलान किया जा सके।

समीक्षा में पाया गया कि कुछ वन प्रभागों द्वारा वन निक्षेप प्रपत्र (ई-23) मासिक लेखों के साथ संलग्न नहीं किया गया। ऐसे वन प्रभागों की सूची परिशिष्ट-13 में दर्शायी गयी है।

प्रस्तर-11: मासिक लेखों में पायी गयी अन्य त्रुटियाँ:-

वन प्रभागों से प्राप्त मासिक लेखों की जाँच में निम्न प्रकार की त्रुटियाँ सामान्यतः प्रकाश में आयी हैं:-

- 1 कुछ वन प्रभागों द्वारा प्रेषित मासिक लेखों में रोकड़ बही के अन्तर्गत अनुदान संख्या /मुख्य लेखाशीर्ष का उल्लेख नहीं किया गया, ऐसे प्रभागों की सूची परिशिष्ट-14 में दर्शायी गयी है।
- 2 लेखा संहिता भाग-तीन (ACCOUNT CODE VOLUME-III) के अनुसार अनुसूचियाँ निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर भेजी जानी चाहिए, जिससे अनुसूचियों का मिलान मासिक लेखे से करने में सुगमता रहे, परन्तु प्रायः यह देखने में आया है कि प्रभागों द्वारा अनुसूचियाँ निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर मासिक लेखे के साथ नहीं भेजी जाती हैं, जिससे अनुसूचियों से मासिक लेखा का मिलान पूर्णतः नहीं हो पाता है।
- 3 मासिक लेखों के साथ संलग्न अनुसूचियों में योग त्रुटिपूर्ण रहता है, जिससे उक्त राशियों का मिलान रोकड़ बही से करके लेखांकन करना सम्भव नहीं हो पाता है।
- 4 रोकड़ बही में लेखाशीर्ष व नामावली अंकित नहीं रहती है अथवा त्रुटिपूर्ण अंकित रहती है, जिस कारण आय/व्यय का बजट से सही मिलान नहीं हो पाता है। अतएव लेखा वर्गीकरण त्रुटिपूर्ण रहने की सम्भावना रहती है।

- 5 रोकड़ वही (ई-7) में फॉरेस्ट डिपोजिट के मदों में प्राप्ति और जमा धनराशि के सम्मुख कुछ प्रभागों द्वारा मुख्य लेखाशीर्ष गलत दर्ज किया जाता है, जबकि डिपोजिट मदों की प्राप्ति में लेखाशीर्ष 8443 दर्ज होना चाहिए। गलत लेखाशीर्ष होने से लेखों में त्रुटियाँ होने की संभावना रहती है।
- 6 कुछ प्रभागों द्वारा मासिक लेखे के साथ व्यय विवरण सारांश संलग्न नहीं रहता है, जिसके कारण लेखाकंन का कार्य करने में असुविधा होती है।

प्रस्तर-12: वित्तीय वर्ष 2020–21 में वन विभाग के सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान/नवीन आवंटन प्रकरणों के सम्बन्ध में

1. वित्तीय वर्ष 2020–21 तक वन विभाग के सम्बन्धित सा०भ०नि० अधिक भुगतान प्रकरणों में से 6 प्रकरणों में रु337030/- की वसूली कई स्मरण-पत्र भेजने के बावजूद अभी तक नहीं हुई है। उक्त प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट-15 में अंकित है।
2. वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान वन विभाग से सम्बन्धित कुल 228 सा०भ०नि० अंतिम भुगतान प्रकरण इस कार्यालय में प्राप्त हुए थे जिनमें से 227 प्राधिकार पत्र जारी किये जा चुके हैं तथा 01 प्रकरण विभाग को वापस किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कोई भी ऋणात्मक प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है, एवं किसी भी ऋणात्मक प्रकरण में वसूली नहीं की गई है।
3. वन विभाग के सा०भ०नि० तृतीय श्रेणी खाता धारकों की संख्या वित्तीय वर्ष 2020–21 तक 1845 थी एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 में चतुर्थ श्रेणी से प्रोन्नत हो कर कुल 76 सदस्यों के तृतीय श्रेणी में नवीन सा०भ०नि० खाते खोले गये।

4. मुख्यालय के निर्देशानुसार लेखापर्ची कार्यालय द्वारा जारी करना बंद कर दिया गया है। अभिदाता को अपनी लेखापर्ची प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय की वेबसाइट www.agua.cag.gov.in पर सुविधा प्रदान की गयी है।
5. वर्तमान में संज्ञान में आया है कि 21 साहस्रनिमित्त खातों में धनराशि ऋणात्मक प्रदर्शित हो रही है। धनराशि ऋणात्मक प्रदर्शित होने के मुख्य कारण लुप्त अंशदानों का समायोजन न हो पाना, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जिनकी प्रोन्नति तृतीय श्रेणी में हो गई है, उन कर्मचारियों की धनराशि का स्थानान्तरण तृतीय श्रेणी साहस्रनिमित्त में नहीं किया जाना, लेखा एवं हकदारी कार्यालय उपराज प्रयागराज से साहस्रनिमित्त की वर्ष 2000 से पूर्व की कटौतियों/अवशेषों का स्थानान्तरण न होना है। उक्त ऋणात्मक प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट-16 में अंकित है।

भाग—द्वितीय

(लेखापरीक्षा)

लेखापरीक्षा के दौरान पाई गयी अनियमितताएँ

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान वन प्रभागों एवं जलागम प्रभागों की लेखापरीक्षा के दौरान अनेक प्रकार की अनियमितताएँ/कमियाँ/त्रुटियाँ पाई गयी। महत्वपूर्ण अनियमितताओं की सूची परिशिष्ट—17,18 एवं 19 में दी गयी है।

उपर्युक्त सभी प्रकरणों में वित्तीय हितों की सुरक्षा हेतु शासन द्वारा सुधारात्मक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। अतः शासन के ध्यान में उक्त त्रुटियाँ/अनियमितताएँ लाते हुए भविष्य में उक्त त्रुटियों/अनियमितताओं की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु शासन से समुचित कार्यवाही करने की अपेक्षा की जाती है।

परिशिष्ट-1

वन विभाग के वृत्तों/प्रभागों की सूची

क्रम संख्या	एफ0आर0डी0 कोड	वृत्त/प्रभाग	पता
1.	021	प्रभागीय वनाधिकारी	टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी
2.	022	उप वन संरक्षक	उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी
3.	023	उप वन संरक्षक	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तरकाशी
4.	024	प्रभागीय वनाधिकारी	टिहरी डैम-1, नई टिहरी
5.	025	प्रभागीय वनाधिकारी	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, नरेन्द्रनगर
6.	026	प्रभागीय वनाधिकारी	टिहरी डैम-2, उत्तरकाशी
7.	041	प्रभागीय वनाधिकारी	गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
8.	042	प्रभागीय वनाधिकारी,	बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर
9.	043	प्रभागीय वनाधिकारी	सिविल सोयम वन प्रभाग, पौड़ी
10.	044	प्रभागीय वनाधिकारी	अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग, गोपेश्वर
11.	045	प्रभागीय वनाधिकारी	रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग
12.	081	प्रभागीय वनाधिकारी	पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़
13.	082	प्रभागीय वनाधिकारी	बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर
14.	083	प्रभागीय वनाधिकारी	अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
15.	084	प्रभागीय वनाधिकारी	सिविल सोयम अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
16.	085	प्रभागीय वनाधिकारी	चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत
17.	111	प्रभागीय वनाधिकारी	केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर
18.	112	उप वन संरक्षक	नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ, चमोली
19.	121	प्रभागीय वनाधिकारी	कालागढ़ टाईगर रिजर्व प्रभाग, लैंसडौन
20.	151	प्रभागीय वनाधिकारी	लैंसडौन वन प्रभाग, लैंसडौन
21.	152	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैंसडौन
22.	153	प्रभागीय वनाधिकारी	देहरादून वन प्रभाग, देहरादून
23.	154	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी
24.	155	प्रभागीय वनाधिकारी	हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार
25.	161	प्रभागीय वनाधिकारी	अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल
26.	162	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, नैनीताल
27.	163	प्रभागीय वनाधिकारी	नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल
28.	164	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत
29.	181	प्रभागीय वनाधिकारी	हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

क्रम संख्या	एफ0आर0 डी0कोड	वृत्त/प्रभाग	पता
30.	182	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी
31.	183	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, विकास भवन रुद्रपुर
32.	184	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल
33.	185	प्रभागीय वनाधिकारी	रामनगर वन प्रभाग, रामनगर
34.	191	उप वन संरक्षक	चक्राता वन प्रभाग, कालसी
35.	192	प्रभागीय वनाधिकारी	अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट
36.	193	उप वन संरक्षक	मसूरी वन प्रभाग, मसूरी
37.	194	प्रभागीय वनाधिकारी	टौन्स वन प्रभाग, पुरौला, उत्तरकाशी
38.	301	वन वर्धनिक	साल क्षेत्र, हल्द्वानी
39.	सी-05	मुख्य वन संरक्षक	गढ़वाल एवं प्रशासन पौड़ी
40.	सी-14	वन वर्धनिक	हिल रीजन, नैनीताल
41.	सी-32	उप निदेशक	गंगोत्री, राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी
42.	सी-33	उप निदेशक	गोविन्द वन्य जीव विहार, पुरोला
43.	सी-34	निदेशक	राजाजी राष्ट्रीय पार्क, देहरादून
44.	सी-35	निदेशक	कार्बट टाइगर रिजर्व, रामनगर, उत्तराखण्ड (नैनीताल)
45.	सी-36	निदेशक	उत्तराखण्ड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी, (नैनीताल)
46.	सी-38	वन संरक्षक	पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी

परिशिष्ट-2

जलागम विभाग के वृत्तों/प्रभागों की सूची

क्रम संख्या	एफ0आर0डी0 कोड	वृत्त/प्रभाग	पता
1.	सी-24	परियोजना निदेशक प्रशासन	जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरा नगर देहरादून।
2.	सी-26	परियोजना निदेशक	यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0, गढ़वाल क्षेत्र, मुनिकीरेती
3.	सी-27	परियोजना निदेशक	यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0, कुमाऊँ क्षेत्र, हल्द्वानी
4.	261	उप परियोजना निदेशक	यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0, विकास नगर, फेज-2, देहरादून
5.	265	उप परियोजना निदेशक	यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0, (पी0एम0यू0), देहरादून
6.	266	उप परियोजना निदेशक	यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0, फेज-2, थत्यूड, टिहरी
7.	267	उप परियोजना निदेशक	यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0, फेज-2, पौड़ी
8.	273	उप परियोजना निदेशक	यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0, फेज-2, बागेश्वर
9.	274	उप परियोजना निदेशक	यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0, फेज-2, पिथौरागढ़
10.	275	उप परियोजना निदेशक	यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0, फेज-2, अल्मोड़ा
11.	268	उप परियोजना निदेशक	यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी. फेज-2, पुरोला

परिशिष्ट-3

“सम्पूर्ण मासिक लेखे न प्रेषित करने वाले प्रभागों की सूची”

(प्रस्तर-2(अ) भाग प्रथम)

क्र0 सं0	एफ.आर.डी. कोड	प्रभाग / वृत्त
वन प्रभाग		
1.	22	उप वन संरक्षक, उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी
2.	81	प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़
3.	85	प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत
4.	185	प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर
5.	सी0-38	वन संरक्षक, पश्चिमीवृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल

परिशिष्ट-4
नियत तिथि के बाद प्राप्त होने वाले लेखाओं की सूची “वन विभाग”
(प्रस्तर-2(ब)भाग प्रथम)

क्र० सं०	एफ. आर.डी. कोड	प्रभाग / वृत्त	2020-21में मासिक लेखाओं की प्राप्ति												
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	
			11.05.20	10.06.20	10.07.20	10.08.20	10.09.20	12.10.20	10.11.20	10.12.20	11.01.21	10.02.21	10.03.21	20.04.21	
1.	021	प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी	11.06.20	11.6.20	20.07.20	17.08.20	18.09.20	15.10.20	02.12.20	25.01.21	25.01.21	08.06.21	08.06.21	08.06.21	
2.	022	उप वन संरक्षक, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी													
3.	023	उप वन संरक्षक, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तरकाशी	06.07.20	06.07.20	07.09.20	14.08.20	17.09.20	16.10.20				not rec.	17.02.21	17.03.21	03.05.21
4.	024	प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी डैम-1, नई टिहरी	02.06.20	not rec.	16.07.20	19.08.20	17.09.20	15.10.20	not rec.	17.12.20	not rec.	18.02.21	18.03.21	08.06.21	
5.	025	प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, नरेन्द्रनगर	19.05.20	not rec.	13.07.20	not rec.	28.09.20	-	01.12.20	-	25.01.21	15.02.21	-	17.06.21	
6.	026	प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी डैम-2, उत्तरकाशी	19.06.20	23.06.20	16.07.20							19.02.21	-	19.05.21	
7.	041	प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी	18.05.20	not rec.	30.07.20	18.08.20	-	13.10.20		12.12.20	21.01.21	17.02.21	22.03.21	-	
8.	042	प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर	-	11.06.20	16.07.20	21.08.20				-	20.01.21	not rec.	-	-	
9.	043	प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम वन प्रभाग, पौड़ी	20.05.20	23.06.20	not rec.	-	16.09.20	-	-	-	-	16.02.21	-	20.05.21	
10.	044	प्रभागीय वनाधिकारी, अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग, गोपेश्वर	15.05.20	-	13.07.20	13.08.20	23.09.20	-	12.11.20	-	not rec.	19.02.21	08.06.21	-	
11.	045	प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग	29.05.20	25.06.20	not rec.	25.08.20	19.09.20	-	17.11.20	22.01.21	not rec.	26.02.21	23.03.21	30.04.21	
12.	081	प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ प्रभाग पिथौरागढ़													

क्र० सं०	एफ. आर.डी. कोड	प्रभाग / वृत्त	2020-21 में मासिक लेखाओं की प्राप्ति											
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
13.	082	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर	25.06.20	29.07.20	14.07.20	11.08.20	-	13.10.20	not rec.		13.01.21	16.02.21	15.03.21	-
14.	083	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा	14.05.20	23.06.20	16.07.20	21.08.20	not rec.	13.10.20	16.11.20	not rec.	15.01.21	not rec.	15.03.21	21.05.21
15.	084	प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा	12.05.20	17.06.20	30.07.20	21.08.20	22.09.20	16.11.20	17.11.20	17.12.20	not rec.			19.05.21
16.	085	प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत	Not received											
17.	111	प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर	-	not rec.	16.07.20	-	-	-	-	not rec.	-	19.02.21	not rec.	21.05.21
18.	112	उप वन संरक्षक, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ, चमोली	26.05.20	not rec.	16.07.20	20.08.20	-	-	-	-	-	-	-	07.05.21
19.	सी-35	निदेशक, कार्बट टाइगर रिजर्व, उत्तराखण्ड, रामनगर, नैनीताल	24.06.20	Not received										
20.	121	प्रभागीय वनाधिकारी, कालागढ़ टाइगर रिजर्व, कालागढ़	18.05.20	17.06.20	28.07.20	21.08.20	22.09.20	13.10.20	-	-	18.01.21	15.02.21	15.03.21	not rec.
21.	151	प्रभागीय वनाधिकारी, लैसडौन वन प्रभाग, कोटद्वार	-	16.07.20	16.07.20	26.08.20	21.09.20	13.10.20	-	22.12.20	not rec.	19.02.21	-	-
22.	152	प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैसडौन	not rec.			21.08.20	21.09.20	20.10.20	Not received		-	17.02.21	-	19.05.21
23.	153	प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून	05.06.20	-	-	-	-	-	13.11.20	-	-	19.02.21	not rec.	-
24.	154	प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी	19.05.20	-	-	-	-	-	Not received		-	19.02.21	-	-
25.	155	प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार	not rec.	16.07.20	16.07.20	14.08.20	17.09.20	15.10.20	12.11.20	not rec.	-	-	16.03.21	08.06.21

क्र० सं	एफ. आर.डी. कोड	प्रभाग/वृत्त	2020-21 में मासिक लेखाओं की प्राप्ति											
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
26.	161	प्रभागीय वनाधिकारी, अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल	19.05.20	-	not rec.	21.08.20	14.09.20	14.10.20	11.11.20	17.12.20	-	not rec.	12.03.21	-
27.	162	प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग नैनीताल	not rec.		-	09.11.20	09.11.20	-	13.11.20	-	not rec.	19.02.21	-	-
28.	163	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल	-	23.06.20	16.07.20	18.08.20	-	16.10.20	07.12.20	not rec.			15.03.21	19.05.21
29.	164	प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत	26.05.20	-	13.07.20	-	-	21.10.20	not rec.					
30.	181	प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी	30.06.20	30.06.20	not rec.	25.08.20	07.10.20	14.09.20	24.11.20	not rec.		15.02.21	-	08.06.21
31.	182	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी	not rec.	23.06.20	not rec.		07.10.20	20.10.20	not rec.					
32.	183	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, विकास भवन रुद्रपुर	18.05.20	-	not rec.			23.10.20	07.12.20	28.12.20	18.01.21	15.02.21	23.03.21	19.05.21
33.	184	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर,	not rec.	25.06.20	20.07.20	25.08.20	29.09.20	20.10.20	-	-	not rec.			
34.	185	प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर	Not received											
35.	191	उप वन संरक्षक, चक्रराता वन प्रभाग, कालसी	-	-	-	11.08.20	-	-	-	-	19.02.21	-	not rec.	
36.	192	प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट	26.05.20	17.06.20	13.07.20	21.08.20	15.09.20	-	-	not rec.	12.01.21	23.02.21	-	10.06.21
37.	193	उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी	18.05.20	02.09.20	15.07.20	18.08.20	-	-	not rec.		-	19.02.21	-	not rec.
38.	194	प्रभागीय वनाधिकारी, टौस वन प्रभाग, पुरोला	-	not rec.	18.07.20	24.08.20	not rec.	-	18.11.20	17.12.20	15.01.21	17.02.21	not rec.	19.05.21

क्र० सं०	एफ. आर.डी. कोड	प्रभाग / वृत्त	2020-21 में मासिक लेखाओं की प्राप्ति											
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
39.	सी-05	मुख्य वन संरक्षक, (गढ़वाल), पौड़ी, उत्तराखण्ड	-	15.06.20	16.07.20	not rec.	16.09.20	15.10.20	Not received				25.05.21	
40.	सी-14	वन वर्धनिक, उत्तराखण्ड, फेरीहाल, तल्लीताल, नैनीताल	not rec.			09.11.20	17.09.20	15.10.20	07.12.20	not rec.		19.02.21	23.03.21	-
41.	सी-36	निदेशक, उत्तराखण्ड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी, नैनीताल	Not received				22.09.20	Not received						
42.	301	वन वर्धनिक, साल क्षेत्र, हल्द्वानी	not rec.			07.09.20	07.10.20	15.10.20	07.12.20	27.12.20	-	-	not rec.	21.05.21
43.	सी-32	उप निदेशक, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी	not rec.		17.07.20	-	-	15.10.20	27.11.20	not rec.		19.02.21	16.03.21	17.05.21
44.	सी-33	उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव. विहार, पुरोला	not rec.			19.08.20	-	21.10.20	11.11.20	17.12.20	18.01.21	15.02.21	16.03.21	25.05.21
45.	सी-34	निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क देहरादून	14.05.20	not rec.	16.07.20	28.08.20	-	-	not rec.	11.12.20	-	19.02.21	16.03.21	18.06.21
46.	सी-38	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी	Not received											
वन विभाग के नियत तिथि के बाद एवं न प्राप्त होने वाले लेखाओं का योग			39	39	42	40	33	32	38	36	34	43	33	36

परिशिष्ट-5

नियत तिथि के बाद प्राप्त होने वाले लेखाओं की सूची जलागम विभाग
(प्रस्तर-2(ब) भाग प्रथम)

क्र. सं.	एफ. आर. डी. कोड	प्रभाग / वृत्त	2020-21 मासिक लेखाओं की प्राप्ति											
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
1.	सी-24	परियोजना निदेशक, प्रशासा जलागम प्रबन्ध निदेशालय, वसन्त विहार, देहरादून	19.05.20	-	-	-	-	-	-	-	-	03.03.21	-	-
2.	सी-26	परियोजना निदेशक, , यू.डी. डब्ल्यू.डी.पी. गढ़वाल क्षेत्र, मुनिकीरेती	not rec.		-	-	16.09.20	13.10.21	-	-	-	not rec.		-
3.	261	उप परियोजना निदेशक, यू. डी.डब्ल्यू.डी.पी. फेज-2, विकास नगर, देहरादून	-	-	not rec.	-	-	-	-	-	-	19.02.21	-	-
4.	265	उप निदेशक, यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी. (पी. एम०यू) देहरादून	20.05.20	-	13.07.20	-	-	-	-	-	-	16.02.21	12.03.21	-
5.	266	उप परियोजना निदेशक यू. डी.डब्ल्यू.डी.पी., फेज-2, थत्यूड	22.05.20	12.06.20	15.07.20	-	14.09.20	-	-	-	-	19.02.21	-	-
6.	267	उप परियोजना निदेशक यू. डी.डब्ल्यू.डी.पी. फेज-2, पौड़ी	11.06.20	20.06.20	-	-	20.09.20	-	12.11.20	-	-	-	15.03.21	-
7.	सी-27	परियोजना निदेशक, यू.डी. डब्ल्यू.डी.पी. कुमाऊँ क्षेत्र, हल्द्वानी	not rec	11.06.20	-	11.08.20	09.10.20	-	18.11.20	11.12.20	15.01.21	16.02.21	12.03.21	-

क्र. सं.	एफ. आर. डी. कोड	प्रभाग / वृत्त	2020-21 मासिक लेखाओं की प्राप्ति											
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
8.	273	उप परियोजना निदेशक यू.डी. डब्ल्यू.डी.पी. फेज-2, बागेश्वर	18.05.20	-	not rec.		14.09.20	13.10.20	17.11.20	-	-	24-02-21	22.03.21	29.04.21
9.	274	उप परियोजना निदेशक यू.डी. डब्ल्यू.डी.पी. गंगोलीहाट, फेज-2, पिथौरागढ़	18.05.20	not rec.	20.07.20	24.08.20	09.10.20	21.10.20	17.11.20	not rec.	27.01.21	06.03.21	15.03.21	29.04.21
10.	275	उप परियोजना निदेशक यू.डी. डब्ल्यू.डी.पी. फेज-2, अल्मोड़ा	-	-	18.07.21	-	not rec.	20.10.20	13.11.20	not rec.	21.01.21	15.02.21	not rec.	29.04.21
11.	268	उप परियोजना निदेशक यू.डी. डब्ल्यू.डी.पी. फेज-2, पुरोला	10.06.20	-	17.07.20	-	02.11.20	not rec.		-	-	19.02.21	not rec.	-
जलागम प्रभाग के नियत तिथि के बाद प्राप्त होने वाले लेखाओं का योग			09	05	07	03	08	05	06	03	03	10	08	03
वन एवं जलागम प्रभाग के नियत तिथि के बाद प्राप्त होने वाले लेखाओं का योग (3+4)			48	44	49	43	41	37	44	39	37	53	41	39

परिशिष्ट-6

नियत तिथि के बाद मिलान कराने वाले वन एवं जलागम प्रभागों की सूची
(प्रस्तर-3 भाग प्रथम)

क्र0स0	एफ0आर0डी0	वृत्त/प्रभाग	पता
1.	021	प्रभागीय वनाधिकारी	टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी
2.	024	प्रभागीय वनाधिकारी	टिहरी डैम-1, नई टिहरी
3.	025	प्रभागीय वनाधिकारी	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, नरेन्द्रनगर
4.	041	प्रभागीय वनाधिकारी	गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
5.	042	प्रभागीय वनाधिकारी,	बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर
6.	043	प्रभागीय वनाधिकारी	सिविल सौयम वन प्रभाग, पौड़ी
7.	044	प्रभागीय वनाधिकारी	अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग, गोपेश्वर
8.	045	प्रभागीय वनाधिकारी	रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग
9.	121	प्रभागीय वनाधिकारी	कालागढ़ टाईगर रिजर्व प्रभाग, लैंसडौन
10.	151	प्रभागीय वनाधिकारी	लैंसडौन वन प्रभाग, लैंसडौन
11.	153	प्रभागीय वनाधिकारी	देहरादून वन प्रभाग, देहरादून
12.	155	प्रभागीय वनाधिकारी	हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार
13.	191	उप वन संरक्षक	चक्रता वन प्रभाग, कालसी
14.	193	उप वन संरक्षक	मसूरी वन प्रभाग, मसूरी
15.	सी-34	निदेशक	राजाजी राष्ट्रीय पार्क, देहरादून

जलागम

16.	सी-27	परियोजना निदेशक	यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0, कुमाऊँ क्षेत्र, हल्द्वानी
17.	261	उप परियोजना निदेशक	यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0, विकास नगर, फेज-2, देहरादून
18.	273	उप परियोजना निदेशक	यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0, फेज-2, बागेश्वर
19.	274	उप परियोजना निदेशक	यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0, फेज-2, पिथौरागढ़
20.	275	उप परियोजना निदेशक	यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0, फेज-2, अल्मोड़ा

परिशिष्ट-7

वित्तीय वर्ष 2020-21 में आय व्यय के आकड़ों का मिलान नहीं कराने वाले वन प्रभागों की सूची
(प्रस्तर-3 भाग प्रथम)

क्रम संख्या	एफ0आर0डी0 कोड	वृत्त / प्रभाग	पता
1.	022	उप वन संरक्षक	उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी
2.	026	प्रभागीय वनाधिकारी	टिहरी डैम-2, उत्तरकाशी
3.	081	प्रभागीय वनाधिकारी	पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़
4.	082	प्रभागीय वनाधिकारी	बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर
5.	083	प्रभागीय वनाधिकारी	अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
6.	085	प्रभागीय वनाधिकारी	चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत
7.	111	प्रभागीय वनाधिकारी	केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर
8.	161	प्रभागीय वनाधिकारी	अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल
9.	162	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, नैनीताल
10.	163	प्रभागीय वनाधिकारी	नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल
11.	164	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत
12.	182	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी
13.	183	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, विकास भवन रुद्रपुर
14.	184	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल
15.	185	प्रभागीय वनाधिकारी	रामनगर वन प्रभाग, रामनगर
16.	192	प्रभागीय वनाधिकारी	अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट
17.	301	वन वर्धनिक	साल क्षेत्र, हल्द्वानी
18.	सी-05	मुख्य वन संरक्षक	गढ़वाल एवं प्रशासन पौड़ी
19.	सी-14	वन वर्धनिक	हिल रीजन, नैनीताल
20.	सी-32	उप निदेशक	गंगोत्री, राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी
21.	सी-33	उप निदेशक	गोविन्द वन्य जीव विहार, पुरोला
22.	सी-35	निदेशक	कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर, उत्तराखण्ड (नैनीताल)
23.	सी-36	निदेशक	उत्तराखण्ड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी, (नैनीताल)
24.	सी-38	वन संरक्षक	पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी

परिशिष्ट-8

“मासिक लेखों के साथ वर्गीकृत सार की मूल प्रति न भेजने वाले प्रभागों की सूची”

(प्रस्तर-4भाग प्रथम)

क्र0 सं0	एफ.आर.डी. कोड	प्रभाग / वृत्त	टिप्पणी
वन विभाग			
1.	25	प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, नरेन्द्रनगर	प्राप्त नहीं
2.	83	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा	प्राप्त नहीं
3.	84	प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा	प्राप्त नहीं
4.	111	प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर	प्राप्त नहीं
5.	161	प्रभागीय वनाधिकारी, अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल	प्राप्त नहीं
6.	162	प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, नैनीताल	प्राप्त नहीं
7.	181	प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी	प्राप्त नहीं
8.	183	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी	प्राप्त नहीं
9.	194	प्रभागीय वनाधिकारी, टोंस वन प्रभाग, पुरोला, उत्तरकाशी	प्राप्त नहीं
10.	सी-33	उप निदेशक, गोविन्द वन्यजीव विहार, पुरोला	प्राप्त नहीं
जलागम प्रभाग			
1.	273	उप परियोजना निदेशक, यू०डी०डब्ल्य०डी०पी०, फेज-2, बागेश्वर	प्राप्त नहीं
2.	273	उप परियोजना निदेशक, यू०डी०डब्ल्य०डी०पी०, फेज-2, पिथौरागढ़	प्राप्त नहीं
3.	275	उप परियोजना निदेशक, यू०डी०डब्ल्य०डी०पी०, फेज-2, अल्मोड़ा	प्राप्त नहीं

परिशिष्ट-9

मासिक लेखों के साथ संलग्न वर्गीकृत सार के अन्त में दिया जाने वाला

प्रमाण-पत्र

1—मैं प्रमाणित करता हूँ कि (जहां तक मैं खातों व वाउचरों की परीक्षा द्वारा सुनिश्चित करने में समर्थ रहा और सम्पादित कार्यों, जिन्हें मैं देख सका, व्यक्तिगत निरीक्षण द्वारा सुनिश्चित करने में समर्थ रहा) व्यय जो इस लेखा के नामे लिखा गया है, को सरकार के हितों का उचित ध्यान रखते हुए, टाला नहीं जा सकता था। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि जहां तक मुझे जानकारी और विश्वास है इस खाते में जो भुगतान प्रविष्ट किये गये हैं वे उचित रीति से उन पक्षों को किये गये हैं जो उन्हें प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वेतन और यात्रा भत्तों तथा वापसी एवं अग्रिमों के भुगतानों के लिये सभी वाउचर, '1000 की धनराशि के अन्य भुगतानों के वाउचर एवं समस्त मदों जिन्हें अन्य विभागों के साथ खाता Book Transfer द्वारा समायोजित किया गया हो, के लिए वाउचर उस लेखा से संबद्ध किये गये हैं। मैंने यथासंभव अन्य धनों के लिये वाउचरों को प्राप्त कर लिया है और मैं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हूँ कि उन्हें इस प्रकार से नष्ट कर दिया गया है कि उनको पुनः प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है।

2—मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि सभी वस्तुएं, जो इस प्रपत्र से संबद्ध किये गये वाउचरों में व्योरेवार दी गई हैं और जो इस कार्यालय में रखी गयी हैं, संयुक्त रूप से अच्छी स्थिति में प्राप्त की गई हैं और भण्डार पंजी में अभिलिखित की गई हैं। मात्राएं सही हैं और किस्म अच्छी है, भुगतान की गई दरें स्वीकृत बाजार दरों से अधिक नहीं हैं। दोहरा भुगतान रोकने के लिये भुगतान की उचित टिप्पणियाँ सम्बन्धित मांग-पत्र और बीजकों के समुख अभिलिखित कर दी गई हैं।

3—मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि इस प्रपत्र से सम्बद्ध प्रपत्र एवं वाउचरों में विस्तृत रूप से दी गई दरें संविदा बन्ध-पत्र में निर्दिष्ट दरों के संदर्भ में सही है।

4— मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि पशु जिनके लिये पारितोषक आहरित किये गये हैं, को वस्तुतः नष्ट कर दिया गया है और मेरे सामने प्रस्तुत किये गये हैं और यह कि उनकी खोपड़ियों को, जैसा कि सरकार ने आदेश दिया है, दोहरा भुगतान रोकने के लिये तोड़ दिया गया है।

5— यह भी प्रमाणित करता हूँ कि किये गये आंशिक भुगतान किये गये कार्य के अनुमानित मूल्य द्वारा आच्छादित हैं।

6— मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि अधीनस्थ कर्मचारियों जिन्हें कार्यालय प्रासंगिक व्यय के नामे लिखा गया है, को वस्तुतः रखा गया एवं उन्हें भुगतान किया गया है तथा उनके अंगूठा निशान वितरण अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किये गये हैं।

दिनांक.....

प्रभाग का प्रभारी

परिशिष्ट-10

‘वन / जलागम प्रभागों की सूची जिनके द्वारा दिये गये वन अग्रिम का समायोजन/वसूली लम्बित है’

(प्रस्तर-6 भाग प्रथम)

क्रम संख्या	एफ0आर0 डी0 कोड	डी0डी0ओ0	वृत्त / प्रभाग	धनराशि रूपयेमें
वन प्रभाग				
1.	024	प्रभागीय वनाधिकारी	टिहरी डैम-1, नई टिहरी	4.70
2.	025	प्रभागीय वनाधिकारी	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, नरेन्द्रनगर	0.39
3.	043	प्रभागीयवनाधिकारी	सिविल सोयमवनप्रभाग, पौड़ी	500.00
4.	044	प्रभागीय वनाधिकारी	अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग, गोपेश्वर	0.09
5.	045	प्रभागीय वनाधिकारी	रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग	0.47
6.	083	प्रभागीय वनाधिकारी	अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा	4.98
7.	085	प्रभागीय वनाधिकारी	चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत	3703
8.	121	उप वन संरक्षक	कालागढ़ टाईगर रिजर्व, लैंसडॉन	25488.15
9.	152	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैंसडॉन	8.50
10.	161	प्रभागीय वनाधिकारी	अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर,	9.00
11.	163	प्रभागीय वनाधिकारी	नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल	68.65
12.	164	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत	135.37
13.	182	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी	66572.86
14.	183	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, विकास भवन रुद्रपुर	0.65
15.	सी-32	उप निदेशक	गंगोत्री, राष्ट्रीय पार्क उत्तरकाशी	179.00
16.	सी-35	निदेशक	कार्बट टाइगर रिजर्व, रामनगर, उत्तराखण्ड (नैनीताल)	2934.00
कुल राशि				99609.81

परिशिष्ट-11

“मासिक लेखों के साथ अनावश्यक रूप से आयकर/बिक्रीकर एवं स्टाम्प शुल्क शामिल करने वाले प्रभागों की सूची”

(प्रस्तर-8 भाग प्रथम)

क्र0 सं0	एफ.आर.डी. कोड	प्रभाग/वृत्त
वन प्रभाग		
6.	45	प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वनप्रभाग, रुद्रप्रयाग
7.	163	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वनप्रभाग, नैनीताल
जलागम प्रभाग		
1.	सी- 24	परियोजना निदेशक प्रशासन, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरानगर, देहरादून
2.	सी- 26	परियोजना निदेशक यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0 गढ़वाल क्षेत्र, मुनिकीरेती
3.	267	उप परियोजना निदेशक यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0 फेज-2, पौड़ी

परिशिष्ट-12

“मासिक लेखों के साथ सी०सी०एल / डी०सी०एल० पास बुक की प्रति संलग्न न करने वाले को प्रभाग”

(प्रस्तर- 9 भाग प्रथम)

क्रम संख्या	एफ०आर०डी० कोड	वृत्त / प्रभाग	पता
1.	83	प्रभागीय वनाधिकारी,	अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
2.	151	प्रभागीय वनाधिकारी,	लैन्सडौन वन प्रभाग, लैन्सडौन
3.	162	प्रभागीय वनाधिकारी,	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, नैनीताल
4.	163	प्रभागीय वनाधिकारी,	नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल
5.	183	प्रभागीय वनाधिकारी,	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग विकास भवन रुद्रपुर
6.	सी- 14	वन वर्धनिक	हिल रीजन, नैनीताल
जलागम			
7.	सी- 24	परियोजना निदेशक प्रशासन	जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरानगर देहरादून

परिशिष्ट-13

“वन जमा आय-व्यय विवरण प्रपत्र (ई-23) को मासिक लेखों के साथ संलग्न न करने वाले वन प्रभागों की सूची”

(प्रस्तर-10 भाग प्रथम)

क्रम संख्या	एफ0आर0डी0 कोड	वृत्त/प्रभाग	पता
1.	025	प्रभागीय वनाधिकारी	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, नरेन्द्रनगर
2.	042	प्रभागीय वनाधिकारी	बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर
3.	084	प्रभागीय वनाधिकारी	सिविल सोयम अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
4.	111	प्रभागीय वनाधिकारी	केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर
5.	112	उप वन संरक्षक	नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ, चमोली
6.	151	प्रभागीय वनाधिकारी	लैंसडौन वन प्रभाग, लैंसडौन
7.	161	प्रभागीय वनाधिकारी	अतिरिक्त भूमि संरक्षण वनप्रभाग, रामनगर, नैनीताल
8.	162	प्रभागीय वनाधिकारी	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, नैनीताल
9.	192	प्रभागीय वनाधिकारी	अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट
10.	सी-14	वन वर्धनिक	हिल रीजन, नैनीताल
11.	सी-34	निदेशक	राजाजी राष्ट्रीय पार्क, देहरादून

जलागम

12.	सी-24	परियोजना निदेशक प्रशासन	जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्द्रिरा नगर देहरादून।
13.	सी-26	परियोजना निदेशक	यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0, गढ़वाल क्षेत्र, मुनिकीरेती
14.	सी-27	परियोजना निदेशक	यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0, कुमाऊँ क्षेत्र, हल्द्वानी
15.	261	उप परियोजना निदेशक	यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0, विकासनगर, फेज-2, देहरादून
16.	265	उप परियोजना निदेशक	यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0, (पी0एम0यू0), देहरादून

परिशिष्ट-14

“मासिक लेखों में रोकड़ बही (ई-7) में अनुदान संख्या /मुख्य लेखा शीर्ष न दर्शाने वाले वन प्रभागों की सूची”

(प्रस्तर- 11 बिन्दु-1 भाग प्रथम)

क्रम संख्या	एफ0आर0डी0 कोड	वृत्त / प्रभाग	पता
1.	042	प्रभागीय वनाधिकारी	बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर,
2.	043	प्रभागीय वनाधिकारी	सिविल सोयम वन प्रभाग, पौड़ी
3.	045	प्रभागीय वनाधिकारी	रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग
4.	084	प्रभागीय वनाधिकारी	सिविल सोयम अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
5.	111	प्रभागीय वनाधिकारी	केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर
6.	112	उप वन संरक्षक	नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ, चमोली
7.	151	प्रभागीय वनाधिकारी	लैंसडौन वन प्रभाग, लैंसडौन
8.	155	प्रभागीय वनाधिकारी	हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार
9.	183	प्रभागीय वनाधिकारी	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, विकास भवन रुद्रपुर
10.	192	प्रभागीय वनाधिकारी	अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट
11.	193	उप वन संरक्षक	मसूरी वन प्रभाग, मसूरी
12.	सी-14	वन वर्धनिक	हिल रीजन, नैनीताल
13.	सी-32	उप निदेशक	गंगोत्री, राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी

परिशिष्ट-15

“एफ०यू० श्रेणी के ऋणात्मक प्रकरणों (वन विभाग) का वर्ष 2020-21तक का विवरण”
 (प्रस्तर-12 बिन्दु-1 भाग प्रथम)

क्र० संख्या	अभिदाता का नाम	लेखा संख्या	विभाग का नाम	प्रकरण संज्ञान में आने का माह	ऋणात्मक राशि (में)
1.	श्री किशोरी लाल	FU-12352	प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी	03 / 2013	28,816
2.	स्व० ललित मोहन जोशी	FU-15692	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा	03 / 2008	68,278
3.	श्री जीवन सिंह बिष्ट	FU-18406	वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल	08 / 2010	92,224
4.	श्री आनन्द सिंह रावत	FU-18434	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल	11 / 2009	8,513
5.	श्री हुलासी सिंह यादव	FU-18602	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल	08 / 2009	35,424
6.	श्री भुवन चन्द्र कार्की	FU-18419	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल	10 / 2014	1,03,775
योग					3,37,030

परिशिष्ट-16

साठभ०नि० खाते में धनराशि ऋणात्मक प्रदर्शित होने वाले कर्मचारियों की सूची
(प्रस्तर-12 बिन्दु-5भाग प्रथम)

S.N.	PRFX	GPF	EMP_NAME	DMN_DSCRPTN	DDO_ADRS1	DDO_ADRS2
1	FU	13099	SURESH CHANDRA BHATT	DIVISIONAL FOREST OFFICER	NAINITAL	
2	FU	13323	UMA SHANKER DOHREY	CHIEF TREASURY OFFICER	CIVIL COURT DEDUCT REFUND	DEHRADUN
3	FU	13754	GIRISH CHANDRA	DEPUTY CONSERVATOR OF FOREST	HALDWANI FOREST DIVISION	HALDWANI (NAINITAL)
4	FU	14220	SUBHASH CHANDRA	CONSERVATOR OF FOREST	SHIVALIK CIRCLE	DEHRADUN
5	FU	14576	BALDEV SINGH	DEPUTY CONSERVATOR OF FOREST	BADRINATH FOREST DIVISION	GOPESWAR
6	FU	14635	RAMESH CHANDRA	DEPUTY CONSERVATOR OF FOREST	HALDWANI FOREST DIVISION	HALDWANI (NAINITAL)
7	FU	15554	DAYA LAL	DEPUTY CONSERVATOR OF FOREST	FORESTRY DIVISION	UTTARKASHI
8	FU	15886	VIJAY BAHADUR	DIVISIONAL FOREST OFFICER	SOIL CONSERVATION FOREST DIVISION	UTTARKASHI
9	FU	17733	RAMESH SINGH NEGI	DEPUTY CONSERVATOR OF FOREST	HALDWANI FOREST DIVISION	HALDWANI (NAINITAL)
10	FU	17746	JIVAN SINGH VISHT	CHIEF CONSERVATOR OF FOREST	FOREST ADMINISTRATION	DEHRADUN
11	FU	17769	HARISH SINGH BISHT	DIVISIONAL FOREST OFFICER	EAST TARAI FOREST DIVISION	HALDWANI
12	FU	17784	DIWAN SINGH ADHIKARI	CONSERVATOR OF FOREST	WESTERN CIRCLE	NAINITAL
13	FU	18205	SUMER SINGH	DEPUTY CONSERVATOR OF FOREST	GARHWAL FOREST DIVISION	PAURI GARHWAL
14	FU	18428	LALITA PRASAD PANDEY	DIVISIONAL FOREST OFFICER	SOIL CONSERVATION DIVISION	RAMNAGAR
15	FUA	18879	UMED LAL	DIVISIONAL FOREST OFFICER	RUDRA PRYAG FOREST DIVISION	RUDRA PRYAG
16	FUA	19543	KHEMRAJ SINGH	DEPUTY CONSERVATOR OF FOREST	FORESTRY DIVISION	UTTARKASHI
17	FUA	20280	MAHESH CHANDRA KAUSHIK	DIVISIONAL FOREST OFFICER	DFO KALAGARH TIGHER RESERVE DIVISION	LANSDOWNE
18	FUA	20414	SHYAM SINGH	DIVISIONAL FOREST OFFICER	SOIL CONSERVATION FOREST DIVISION	UTTARKASHI
19	FUA	20788	RAGHUVeer SINGH RAWAT	DIVISIONAL FOREST OFFICER	TEHRI DAM SECOND DIVISION	UTTARKASHI
20	FUA	20803	MAHESH SINGH BORA	DIVISIONAL FOREST OFFICER	NAINITAL	
21	FUA	20880	MAMTA TRIPATHI	CHIEF CONSERVATOR OF FOREST	VAN VARDHANIK SAAL	HALDWANI

परिशिष्ट-17

कैश / कैप अनुभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय लेखा परीक्षण के दौरान लेखाओं में पायी गयी

महत्वपूर्ण अनियमितताओं का विवरण

(भाग-द्वितीय)

क्रसं ..	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या संख्या मैमो/	खण्ड का नाम	महत्वपूर्ण अनियमिता	धनराशि (मे रु)
1	07	उपवन संरक्षक, चकराता वन प्रभाग, चकराता	भुगतान संबन्धित प्रमाण नहीं है।	61830.00
2	08	उपनिदेशक-, पी उत्तराखण्ड ०एम०यू० विकास जलागम विकेन्द्रित -फेज (ग्राम्य)परियोजनाII, देहरादून।	वाउचरों के व्यय सम्बन्धी स्वीकृति ली गई है।	78400.00, 191100.00, 175500.00, 76650.00
3	09	उप निदेशक परियोजना -UDWDP फेज-II, पौड़ी प्रभाग, पौड़ी।	GST की कटौती नहीं किया जाना।	17000.00
4	18	मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबंध निदेशालय, देहरादून।	वाउचर व उसके साथ संलग्न बिल की धनराशि की भिन्नता का स्पष्टीकरण करें तथा TDS की भी शासनादेश द्वारा जारी पत्र की छायाप्रति संलग्न करें क्योंकि TDS 7.5% की दर से काटे जाने का प्रावधान है।	34125.00
5	19	प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून	वाउचर संख्या AG 25/में को जोशी प्रसाद पुरण 24300.00 में संबंध इस परन्तु किया। भुगतान करें पुष्टि जो है संलग्न साक्ष्य कोई, कि धनराशि पुरण प्रसाद जोशी द्वारा प्राप्त कर ली है।	24267.00
6	20	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।	श्रमिकों को कितने दिनों का भुगतान किया है। दिनों के संबंध में भी कोई अभिलेख संलग्न नहीं जो उसमें भुगतान को सही प्रमाणित कर सके।	13936.00
7	27	परियोजना निदेशक (प्रशासन) निदेशालय प्रबन्ध जलागम, उत्तराखण्ड, देहरादून।	वाउचर ag 16/के साथ रु है। नहीं संलग्न बिल का 9923.00 सक्षम किसी लंच वर्किंग यह क्या किया से स्वीकृति कि प्राधिकारी हाँ यदि गया, तो स्वीकृति आदेश कि छायाप्रति संलग्न करें।	9923.00
8	29	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।	आयकर एवं रायलटी के चालान वाउचर के साथ संलग्न नहीं है।	3000.00
9	34	प्रभागीय वनाधिकारी, कालागढ़ टाइगर रिजर्व, लैन्सडाउन।	समस्त वाउचरों में स्वीकृति संख्या अंकित नहीं है।	25000.00, 25000.00, 25000.00

10	35	उप निदेशक परियोजना -UDWDP-II, ग्राम्य बागेश्वर प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी डैम, वन प्रभाग टिहरी नई (प्रथम)	वाउचरों में मानदेय से संबन्धित आदेश की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है।	465000.00, 482500.00
11	40	परियोजना निदेशक उत्तराखण्ड विकेंद्रित जलागम, विकास परियोजना हल्द्वानी। (2-फेज)	प्रोत्साहन पैकेज के अन्तर्गत परियोजना भत्ता किराया मकान/ भिन्न भिन्न में रूप के भत्ता गया। किया भुगतान का धनराशियों	+ 11250.00 =8100.00 19300.00
12	39	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन, प्रभाग पौड़ी गढ़वाल	वाउचरों के साथ अनुबन्ध की छायाप्रति संलग्न नहीं है।	135000.00
13	45	उपवन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग निकट जवाड़ी बाइपास, रुद्रप्रयाग	समस्त वाउचरों में श्रमिकों के मात्र आधार संख्या अंकित है। आधार की छायाप्रति संलग्न न किए जाने के कारण।	170240.00
14	46	प्रभागीय वनाधिकारी, भूमिसंरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडाउन	समस्त वाउचरों में श्रमिकों के मात्र आधार संख्या अंकित है। आधार की छायाप्रति संलग्न न किए जाने के कारण।	140000.00
15	47	उप उत्तराखण्ड निदेशक परियोजना- जलागम विकेंद्रित, विकास परियोजना 2-, देहरादून प्रभाग, विकासनगर।	धनराशि के भुगतान हेतु स्वीकृति आदेश की छायाप्रति संलग्न नहीं की गयी।	480000.00
16	50	उप उत्तराखण्ड निदेशक परियोजना- जलागम विकेंद्रित, विकास परियोजना गढ़वाल। पौड़ी (2-फेज)	समस्त वाउचरों में स्वीकृति संख्या अंकित न किए जाने के कारण।	300827.00
17	07	प्रभागीय वन अधिकारी, हरिद्वार।	उपस्थिति प्रपत्र संलग्न नहीं है।	715385.00
18	06	प्रभागीय वन अधिकारी, देहरादून, वन मण्डल।	उपस्थिति प्रपत्र संलग्न नहीं है।	22750.00
19	39	प्रभागीय अधिकारी सिविल एवं सोयम, वन प्रभाग, अल्मोड़ा।	वाउचर में आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर न होने के कारण।	33650.00

परिशिष्ट-18

वित्तीय वर्ष 2020-21 में लेखा परीक्षण के दौरान लेखाओं में पायी गयी अनियमितताओं का विवरण
(भाग-द्वितीय)

क्र मसं 0	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	खण्ड का नाम	भाग-2 (अ)	महत्वपूर्ण अनियमितायें एवं धनराशि	धनराशि लाख मे	निर्गत की तिथि	विभाग से प्राप्त आख्या की तिथि
1	AMG-IV/FR-03/2020-21	कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन उत्तराखण्ड, देहरादून	(अ)	—		18.08.2020	—
2	AMG-IV/FR-13/2020-21	कार्यालय निदेशक / वनसंरक्षक, राजाजी टाईगर रिजर्व उत्तराखण्ड, देहरादून	(अ)	प्रस्तर-1EPF/ESI अंशदान मद मे ₹0 41.53 लाख के साथ-साथ नियोक्त कार्मिको से अधिक कार्मिको हेतु अनियमित वेतन आहरण ₹0 305.04 लाख।	346.57	02.09.2020	अप्राप्त
3	AMG-IV/FR-16/2020-21	कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून	(अ)	प्रस्तर-1 कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा के भुगतान मे कार्मिको के अंश का भुगतान किये जाने पर एजेन्सी को ₹0 26.02 लाख का अधिक भुगतान/अधिय	26.02	23.09.2020	अप्राप्त

				लाभ			
4	AMG- IV/FR- 17/2020-21	कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मैसूरी वन प्रभाग मैसूरी	(अ)	—		23.09.2020	—
5	AMG- IV/FR- 25/2020-21	कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चक्रराता वन प्रभाग चक्रराता	(अ)	—		16.10.2020	—
6	AMG- IV/FR- 27/2020-21	कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी, देहरादून	(अ)	प्रस्तर-1: पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देशों की गलत व्याख्या किये जाने से राजस्व हानि रु0 25.99 लाख प्रस्तर-2: वन जमा मे रु 25.58 लाख का विभाग के पास कोई विवरण नहीं होना	25.99 25.58	16.10.2020	अप्राप्त
7	AMG- IV/FR- 38/2020-21	कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग हरिद्वार	(अ)	प्रस्तर-1: वन विकास निगम से राजस्व का अप्राप्त रहना रु0 391. 35 लाख । प्रस्तर-2: विलम्ब से राजस्व जमा करने पर ब्याज की वसूली नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप रु0 37. 16 लाख की वसूली नहीं किया जाना एवं	391. 35 37.16	20.11.2020	अप्राप्त अप्राप्त

				वर्ष 2019-20 का कोई राजस्व प्राप्त नहीं होने के बाद भी वसूली की कार्यवाही नहीं किया जाना ।			
8	AMG-IV/FR-46/2020-21	कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्र नगर वन प्रभाग मुनिकौरेती टिहरी गढ़वाल	(अ)	प्रस्तर-1 लीसा के विक्रय पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क न वसूल किये जाने के कारण राजस्व क्षति रु0 77.16 लाख ।	77.16	18.12.2020	अप्राप्त
9	AMG-IV/FR-61/2020-21	कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी	(अ)	प्रस्तर-1 लीसा के विक्रय पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क न वसूल किये जाने के कारण राजस्व क्षति रु0 10.59 लाख ।	10.59	10.03.2021	अप्राप्त
10	AMG-IV/FR-62/2020-21	कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैंसडौन वन प्रभाग कोटद्वार	(अ)	--	--	22.03.2021	--
11	AMG-IV/FR-65/2020-21	कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर, ऊधसिंह नगर	(अ)	प्रस्तर-1 एन.पी.वी. व क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि रु0 27.12 करोड़ जमा न कराया जाना ।	27.12	01.04.2021	अप्राप्त
12	AMG-IV/FR-66/2020-21	कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग	(अ)	--	--	08.04.2021	--

		रुद्रप्रयाग					
13	AMG- IV/FR- 68/2020-21	कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी, नैनीताल	(अ)	--	--	12.04.2021	--
14	AMG- IV/FR- 75/2020-21	कार्यालय निदेशक कार्बेट टाईगर रिजर्व रामनगर, नैनीताल	(अ)	प्रस्तर-1 वित्तीय अनुदान की शर्तों का समुचित पालन न करते हुए रु0 1000 करोड़ का अनुदान दिया जाना ।	1000	22.04.2021	अप्राप्त
15	AMG- IV/FR- 77/2020-21	कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।	(अ)	--	--	23.04.2021	--
16	AMG- IV/FR- 78/2020-21	कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग रामनगर	(अ)	--	--	10.05.2021	--
17	AMG- IV/FR- 79/2020-21	कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी	(अ)	प्रस्तर-1: विकास कार्यों के लिए पातन हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम को आंवटित प्रकाछ से संबंधित रॉयल्टी निगम द्वारा रोके जाने से प्रभाग को रु0 44.77 लाख के राजस्व की क्षति। प्रस्तर-2: पर्वतीय क्षेत्रों	44.77 26.27	30.04.2021	अप्राप्त अप्राप्त

		<p>के वृक्षों के लिए आयतन गुणांक तालिका के निर्धारित भाग के आधार पर अनुमानित आयतन की गणना न किए जाने के कारण प्रभाग को ₹0 26. 27 लाख के राजस्व की क्षति ।</p> <p>प्रस्तर-3: लीसा व प्रकाष्ठ की बिक्री नीलामी पर निर्धारित स्टांप शुल्क वसूल न किए जाने के कारण ₹0 10.13 लाख के राजस्व की क्षति ।</p>	10.13		अप्राप्त
--	--	--	-------	--	----------

परिशिष्ट-19

निरिक्षण प्रतिवेदनों के विवरण एवं उत्तर प्राप्त किये जाने की तिथि

File No	Name of Unit	Date of issue of IR	Date of Receiving of first Reply
FR-03/2020-21	अपर प्रमुख वन संरक्षक नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन उत्तराखण्ड देहरादून	18.08.2020	अप्राप्त
FR-13/2020-21	निदेशक/वन संरक्षक राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून	02.08.2020	अप्राप्त
FR-16/2020-21	प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून	23.09.2020	26.10.2020
FR-17/2020-21	प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी	23.09.2020	अप्राप्त
FR-25/2020-21	प्रभागीय वनाधिकारी चकराता	16.10.2020	01.06.2021
FR-27/2020-21	प्रभागीय वनाधिकारी कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी देहरादून	16.10.2020	23.07.2021
FR-38/2020-21	प्रभागीय वनाधिकारी हरिद्वार	20.11.2021	अप्राप्त
FR-46/2020-21	प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्र नगर मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल	18.12.2020	अप्राप्त
FR-61/2020-21	प्रभागीय वनाधिकारी पौड़ी	10.03.2021	11.06.2021
FR-62/2020-21	प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन कौटद्वार	22.03.2021	अप्राप्त
FR-65/2020-21	प्रभागीय वनाधिकारी तराई केन्द्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर, उथमसिंह नगर	01.04.2021	अप्राप्त
FR-66/2020-21	प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग	08.04.2021	अप्राप्त
FR-68/2020-21	प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्व वन प्रभाग, हल्द्वानी नैनीताल	12.04.2021	28.09.2021
FR-77/2020-21	प्रभागीय वनाधिकारी तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर	23.04.2021	28.08.2021
FR-78/2020-21	प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर वन प्रभाग रामनगर	10.05.2021	अप्राप्त
FR-79/2020-21	प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी	30.04.2021	अप्राप्त
FR-75/2020-21	प्रभागीय वनाधिकारी		